संख्या 1084 / 2011 / 66(120) / XXVII(8) / 2003

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) दिनॉकः देहरादूनः 11 नवम्बर, 2011

विषय– उत्तराखण्ड में टैन्ट व्यवसायियों के लिये वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 के लिये देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 4116 दिनांक 31–10–2011 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा टैन्ट व्यवसायियों के लिये समाधान योजना का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10, 2010–11 व 2011–12 तीन वर्षो के लिये देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान योजना लाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना से सम्बन्धित शासन के दिशा निर्देश एवं प्रारूप 1 व 2 संलग्न प्रेषित हैं। इस योजना का अपने स्तर से व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए यथोचित कार्यवाही कृपया प्राथमिकता से सम्पन्न कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त।

अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

vividh+official letters/Letter/dt